तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **गोरधनराम बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर)** सू.अ.अपील संख्या 26/2023	न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
06.02.23	अपीलार्थी गोरधनराम सोनी पुत्र किसनाराम सोनी निवासी मु.पो. जाजीवाल कलां, तहसील व जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.11.2022 में उसके द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज परिवाद 12200789137184 में की गई कार्यवाही में भू.अ. प्रभारी कार्यालय उपखण्ड अधिकारी,ज जोधपुर द्वारा बताया गया कि अवैध खनन कर्ता की खातेदारी निरस्त करने हेतु 177 के तहत रेफरेंस तैयार कर माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर में प्रस्तुत कर दिया गया है। उक्त परिवाद में उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर द्वारा तहसीलदार, जोधपुर से पैमाइश रिपोर्ट तलब की थी, उक्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी–उत्तर, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमान्शु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	